



यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR)

प्रलिस के लयः

महलाओं के खलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उनमूलन पर कनवेंशन (CEDAW), नागरक और राजनीतक अधकारों पर अंतरराष्टरीय अनुबंध (ICCPR), बीजगि घोषणा-पत्र एवं प्लेटफॉर्म फॉर एकशन, राष्टरीय परिवार स्वास्थय सर्वेक्षण (NFHS-5), भारत की राष्टरीय स्वास्थय नीती 2017, राष्टरीय कशोर स्वास्थय कार्यक्रम, 2030 एजेंडा ।

मेन्स के लयः

यौन और प्रजनन स्वास्थय अधिकार (SRHR) : SRHR के उल्लंघन का कारण और परणाम, भारत में SRHR की आवश्यकता, SRHR से संबधति पहल, SRHR सुनश्चित करने के लयि उठाए जाने वाले कदम ।

प्रसंग क्या है?

यौन और प्रजनन स्वास्थय अधिकार (Ensuring Sexual and Reproductive Health Rights- SRHR) सुनश्चित करना वशिव भर में वयक्तयों तथा राष्ट्रों के समग्र स्वास्थय, कलयाण एवं सामाजक-आर्थक वकिस के लयि सर्वोपरि है । SRHR में नवश करने हेतु सरकारों को प्रतबिद्ध करने वाले अंतरराष्टरीय समझौतों के बावजूद, राजनीतक दृढ संकल्प की कमी, अपर्याप्त धन, लगातार **लैंगक असमानता** व कामुकता से जुड़े मुद्दों का खुलकर सामना करने की अनच्छा के कारण प्रगत बाधति हुई है ।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार क्या हैं?


परचयः

- SRHR में यौन और प्रजनन से संबधति मानवाधकारों का एक स्पेक्ट्रम शामिल है । इन अधकारों में नागरक तथा राजनीतक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थक, सामाजक एवं सांस्कृतक अधकार भी शामिल हैं, जो यह सुनश्चित करते हैं क महलाओं एवं पुरुषों दोनों को इष्टतम **यौन तथा प्रजनन स्वास्थय** तक समान पहुँच प्राप्त हो ।
 - इसमें भेदभाव, अवपीड़न (Coercion) या हसिा का सामना कयि बना, परिवार नयोजन सहति उनके यौन और प्रजनन जीवन के बारे में सूचति नरिणय लेने का अधकार शामिल है ।
 - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, "प्रजनन और यौन स्वास्थय के अधकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा वयक्तकी सुरक्षा का अधकार, स्वास्थय देखभाल एवं सूचना का अधकार, स्वास्थय सेवाओं के लयि संसाधनों के आवंटन व उनकी उपलब्धता और गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच का अधकार शामिल है ।"
- SRHR बच्चों और कशोरों सहति सभी वयक्तयों के लयि अंतरनहति अधकार हैं, तथा **सार्वभौमक स्वास्थय कवरेज** प्राप्त करने हेतु अभनिन अंग हैं, जसिमें न केवल बीमारी की रोकथाम बल्क शारीरक, मानसक, भावनात्मक एवं सामाजक आयामों तक समग्र कलयाण भी शामिल है ।

SRHR के सदिधांतः

- यौन और प्रजनन स्वास्थय की उपलब्धि यौन और प्रजनन अधकारों की प्राप्ति पर नरिभर करती है, जो सभी वयक्तयों के मानवाधकारों पर आधारति हैं:
 - उनकी देहक अखंडता, गोपनीयता और वयक्तगित स्वायत्तता का सम्मान कयि जाए;
 - यौन अभविन्यास और लगी पहचान तथा अभवियकर्ता सहति उनकी कामुकता को स्वतंत्र रूप से परभाषति करना;
 - तय करना क यौन रूप से कब सक्रयि होना है या नहीं;
 - अपना यौन साथी चुनना;
 - सुरक्षति और आनंददायक यौन अनुभव प्राप्त करना;
 - तय करना क कयि, कब और कसिसे शादी करनी है;
 - नरिणय लेना क कयि, कब और कसि माध्यम से बच्चा पैदा करना है या बच्चे पैदा करने हैं तथा कतिने बच्चे पैदा करने हैं;
 - उपरोक्त सभी को प्राप्त करने के लयि आवश्यक जानकारी, संसाधनों, सेवाओं और समर्थन तक उनके जीवनकाल में भेदभाव, जबरदस्ती, शोषण तथा हसिा से मुक्त पहुँच हो ।

//



नोट:

- पुट्टास्वामी नरिणय ने वशिष रूप से भारतीय संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में प्रजनन विकल्प चुनने के महिलाओं के संवधानिक अधिकार को मान्यता दी।

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) के उल्लंघन के कारण और परिणाम क्या हैं?

कारण	नतीजे
महिलाओं के SRHR का उल्लंघन	<ul style="list-style-type: none"> गर्भनिरोधक, प्रसव पूर्व देखभाल और सुरक्षित गर्भपात सहित आवश्यक प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पर प्रतिबंध, अनपेक्षित गर्भधारण तथा असुरक्षित गर्भपात की दरों में वृद्धि में योगदान देता है, जिससे मातृ मृत्यु दर और रुग्णता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अपने शरीर पर महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करने वाले सामाजिक मानदंड लिंग-आधारित हिंसा को कायम रखते हैं, जिससे भय और असुरक्षा का माहौल बनता है जो शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्रभावित करता है।
पट्टिसत्तात्मक मान्यताएँ और सामाजिक मूल्य	<ul style="list-style-type: none"> पट्टिसत्तात्मक व्यवस्था और पारंपरिक सामाजिक मूल्य उन रूढ़ियों तथा मानदंडों को मज़बूत करके लैंगिक असमानता को कायम रखते हैं जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की भूमिकाओं एवं योगदान को प्राथमिकता देते हैं। <ul style="list-style-type: none"> यह अवमूल्यन प्रजनन से परे तक फैला हुआ है, महिलाओं की शिक्षा, रोज़गार के अवसरों और नरिणय लेने की प्रक्रियाओं तक पहुँच को सीमित करता है तथा उन्हें सामाजिक कलंक, भेदभाव और हाशिये पर डाल देता है।
शीघ्र ववाह और गर्भावस्था	<ul style="list-style-type: none"> कम उम्र में ववाह जैसी सांस्कृतिक प्रथाएँ लड़कियों को स्वायत्तता और शिक्षा से वंचित करती हैं, जिससे जल्दी तथा बार-बार गर्भधारण होता है। <ul style="list-style-type: none"> कशोर गर्भधारण से मातृ जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है और गरीबी एवं नरिभरता का चक्र बना रहता है क्योंकि युवा माताओं को अक्सर शिक्षा तथा रोज़गार में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य व सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और बढ़ जाती हैं।
मातृ मृत्यु दर और रुग्णता	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षित गर्भपात सेवाओं और कुशल मातृ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक सीमित पहुँच के परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर और रुग्णता की उच्च दर देखी जाती है। <ul style="list-style-type: none"> पहुँच की यह कमी मौजूदा चुनौतियों को बढ़ाती है, जो मातृ मृत्यु, जटिलताओं और वशिष रूप से सीमित स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों वाले हाशिये पर रहे स्थिति समुदायों में महिलाओं तथा उनके परिवारों के लिये दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव में योगदान देती हैं।

भारत में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) की क्या आवश्यकता है?

- **महिलाओं की स्वायत्तता और प्रजनन स्वास्थ्य के लिये चुनौतियाँ:** कई महिलाओं में शारीरिक स्वायत्तता का अभाव बना हुआ है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, भारत में केवल 10% महिलाएँ स्वतंत्र रूप से अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हैं और 11% महिलाओं का मानना है कि यदि कोई महिला अपने पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करती है तो उन्हें वैवाहिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। भारत में लगभग आधे गर्भधारण अनियोजित होते हैं।
- **असुरक्षित गर्भपात का उच्च प्रसार:** भारत में 15 मिलियन गर्भपात में से लगभग 78% का कारण चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध न होना है, जो महत्त्वपूर्ण सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँच की कमी को दर्शाता है।
- **गर्भनरोधक तक सीमिति पहुँच:** भारत के प्रजनन वर्षों में 30 मिलियन से अधिक विवाहित महिलाएँ गर्भनरोधक का उपयोग करने में असमर्थ हैं, जो परिवार नियोजन सेवाओं में बाधाओं को उजागर करता है।
- **कशिशोर प्रजनन स्वास्थ्य चुनौतियाँ:** भारत में 2 मिलियन कशिशोर महिलाओं की आधुनिक गर्भनरोधक तक पहुँच नहीं है और जन्म देने वाली कशिशोरियों के एक महत्त्वपूर्ण प्रतित का अनुशंसित न्यूनतम चार प्रसव-पूर्व देखभाल परीक्षण में शामिल न होना है।
- **जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार का ध्यान:** प्रजनन अधिकारों के लिये सरकार के ऐतिहासिक दृष्टिकोण ने व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यापक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पर जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता दी है, जिससे गर्भपात एवं गर्भनरोधक तक सार्वभौमिक पहुँच जैसी पहल पर ध्यान केंद्रित करने में कमी देखी गई है।
- **लगा आधारित हिंसा का हाशियकरण:** भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में लगा आधारित हिंसा को अक्सर हाशिये पर रखा जाता है, जिससे मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी चिंता के बजाय कानून-व्यवस्था के मुद्दे के रूप में संबोधित किया जाता है, बावजूद इसके कि वियक्तियों की भलाई पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।
- **असुरक्षित गर्भपात के कारण मातृ मृत्यु:** संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार, असुरक्षित गर्भपात **भारत में मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण** है तथा प्रतिदिन असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों की वजह से लगभग 8 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2007-2011 के बीच भारत में 67% गर्भपात के मामलों को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) से संबंधित पहल क्या हैं?

■ वैश्विक पहल:

- **महिलाओं के वरिद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW):** यह एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधन है जिसके लिये देशों को सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना होगा तथा महिलाओं एवं लड़कियों के समान अधिकारों को बढ़ावा देना होगा।
 - CEDAW को अक्सर **महिलाओं के अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय बलि के रूप में वर्णित किया जाता** है और यह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौतों में से एक है जो लैंगिक समानता हासिल करने तथा सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में मार्गदर्शन करता है।
- **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR):** इसका उद्देश्य नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिनमें शामिल हैं:
 - भेदभाव से मुक्ति, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, प्रताड़ना/यातना से मुक्ति, दासता से मुक्ति, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, हरिसत में मानवता का व्यवहार करने का अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, गैर-नागरिकों को मनमाने नषिकासन से मुक्ति, नषिकष सुनवाई का अधिकार, कानून के समक्ष मान्यता का अधिकार, नजिता का अधिकार, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार, बच्चों का जन्म पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता का अधिकार, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार।
- **बीजगि घोषणा-पत्र एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन:** यह महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये एक दूरदर्शी एजेंडा है। यह विश्व भर में महिलाओं की सतितिका विश्लेषण करने और महिला सशक्तीकरण के समर्थन में राज्यों के प्रयासों का आकलन करने हेतु संदर्भ ढाँचे में से एक है।

■ राष्ट्रीय पहल:

- **गर्भनरोधक पद्धतिका वसितार और सुदृढीकरण:** परिवार नियोजन 2030 साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में अपनी गर्भनरोधक बास्केट (Contraceptive Basket) का वसितार करना शामिल है। नए गर्भनरोधक विकल्पों को शामिल करने से महिलाओं के अधिकारों और स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है, जिससे आधुनिक गर्भनरोधक के प्रचलन में वृद्धि होती है।
 - समय पर गुणवत्तापूर्ण और कफियाती परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच महत्त्वपूर्ण है **क्योंकि बिना अंतराल के गर्भधारण से नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है** और साथ ही मातृ मृत्यु दर, रुग्णता तथा स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
- **भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017:** यह मौजूदा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से प्रजनन, मातृ, बाल और कशिशोर स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के लिये नशिलक, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देती है।
 - इसके अलावा भारत सरकार ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्रदाता आधार का वसितार करने हेतु देश भर में प्रसूति विद्या सेवाएँ भी शुरू की हैं।
- **राष्ट्रीय कशिशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK):** वर्ष 2014 में शुरू की गई यह पहल कशिशोरों के दौरान स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने, युवा लोगों की विशिष्ट यौन और प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करने पर केंद्रित है।
- **कशिशोर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों को दूर करना:** प्रगतिके बावजूद महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें सटीक जानकारी तक सीमिति पहुँच और व्यापक गर्भपात देखभाल शामिल है। प्रदाता पूर्वाग्रह और अपर्याप्त जानकारी जैसी बाधाओं को दूर करने के लिये प्रयासों की आवश्यकता है।
- **SDG में SRHR के प्रति भारत की प्रतिबद्धता:** सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में SRHR का एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय नीति ढाँचे में इसकी मान्यता इन अधिकारों को बनाए रखने का कर्तव्य राष्ट्रों पर है और यह मौलिक मानवाधिकारों के रूप में यौन एवं प्रजनन

स्वास्थ्य की स्वीकृति को अनिवार्य बनाती है।

- सतत विकास के लिये 2030 एजेंडा पर हस्ताक्षरकरता और वैश्विक आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के घर के रूप में भारत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों और कानून के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये मजबूर है।
- स्वास्थ्य पर SDG 3 और लैंगिक समानता तथा महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण पर SDG 5 दोनों में यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों से संबंधित लक्ष्य शामिल हैं।

नोट: भारत सरकार के स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास कार्यक्रमों ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रगति दिखाई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में **मैत्रिम्य के समय जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।**

- 1990 के दशक की तुलना में वर्तमान में एक भारतीय की जीवन प्रत्याशा में एक दशक से अधिक समय की वृद्धि हुई है। मातृ स्वास्थ्य के मामले में भारत ने प्रभावशाली प्रगति की है। मातृ मृत्यु दर की वर्तमान दर 97 (प्रति 100,000 जीवित जनम) है, जो वर्ष 2004 में 254 से कम है।
- इन कार्यक्रमों की एक और जीत लैंगिक सशक्तीकरण है। वर्ष 2000 की शुरुआत से भारत में बाल विवाह की संख्या आधी हो गई है।
 - कश्मीर गर्भधारण में भी उल्लेखनीय कमी आई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सहित महत्त्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच में भी सुधार हुआ है।

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- व्यापक लैंगिकता शिक्षा (CSE): स्कूलों और समुदायों में आयु-उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तथा साक्ष्य-आधारित यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने से व्यक्तियों को यौन स्वास्थ्य, रीति, गर्भनरोधक तथा सहमति के बारे में सटीक जानकारी मलि सकती है।
 - **संवरद्धि वास्तविकता (Augmented Reality- AR) और आभासी वास्तविकता (Virtual Reality- VR)** प्रौद्योगिकियों मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा को व्यापक एवं इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभव बना सकती हैं।
- गर्भनरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच: कफायती और सुलभ गर्भनरोधक तथा परिवार नियोजन सेवाएँ सुनिश्चित करने से व्यक्तियों को अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित विकल्प चुनने एवं अनपेक्षित गर्भधारण को रोकने की अनुमति मिलती है।
- सुरक्षा एवं कानूनी गर्भपात सेवाएँ: सुरक्षा और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने से व्यक्तियों के प्रजनन अधिकारों की रक्षा हो सकती है तथा स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरे में डालने वाली असुरक्षित गर्भपात प्रथाओं को रोका जा सकता है।
- स्वास्थ्य कार्यबल क्षमता: समय पर उच्च-गुणवत्ता और सम्मानजनक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता एवं कौशल को बढ़ाना आवश्यक है।
- अंतर-क्षेत्रीय सहयोग: यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिये पूरे जीवन चक्र में पहुँच तथा समर्थन सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा व परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता होती है।
- लक्षित नविश की आवश्यकता: भारत के लिये गुटमाकर-लैसेट आयोग की सफिराशियों के अनुसार, अवांछित गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपात, अनयोजित प्रसव और मातृ मृत्यु दर को कम करने के साथ-साथ युवा लोगों की शारीरिक स्वायत्तता तथा कल्याण की सुरक्षा के लिये कश्मीर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य में लक्षित नविश महत्त्वपूर्ण है।
- समुदाय-आधारित सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम: नवीन सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को शामिल करने से मासिक धर्म के आसपास की चुप्पी और कलंक (Silence and Stigma) को तोड़ने में मदद मलि सकती है। ये कार्यक्रम महिलाओं तथा लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता दूत (Menstrual Hygiene Ambassadors) बनने के लिये प्रशिक्षित कर सशक्त बना सकते हैं।

नक्षिकरष

भारत में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) सुनिश्चित करने की दशा में यात्रा जारी है, जिसमें प्रगतिके साथ-साथ लगातार चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। जैसे-जैसे हम लैंगिक समानता, स्वास्थ्य देखभाल पहुँच तथा सामाजिक मानदंडों की जटिलताओं से नपिटते हैं, सभी के लिये स्वायत्तता, गरमा एवं कल्याण को बढ़ावा देने हेतु हमारी प्रतबिद्धता को दृढ़ करना आवश्यक है। समावेशिता, शिक्षा व सहयोगात्मक प्रयासों को अपनाकर, हम एक ऐसे भवषिय का मार्ग प्रशस्त करते हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और एक सहायक तथा न्यायसंगत समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है।

UPSC सविलि सेवा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला 'बीजगि घोषणा और कार्रवाई मंच (बीजगि डकिलरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन)' नमिनलखिति में से क्या है? (2015)

(a) क्षेत्रीय आतंकवाद से नपिटने की एक कारयनीति (स्ट्रैटजी), शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का एक परणाम।

(b) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक संवृद्धि की एक कारय-योजना, एशिया-प्रशांत आर्थिक मंच (एशिया-पैसफिक इकोनॉमिक फोरम) के वधिर-वमिरश का एक परणाम।

- (c) महिला सशक्तीकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम ।
(d) वन्यजीवों के दुर्व्यापार (ट्रेफिकिंग) की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट) की एक उद्घोषणा ।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. समय और स्थान के विपरीत भारत में महिलाओं के लिये नरिंतर चुनौतियाँ क्या हैं? (2019)

प्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचकितिसा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sexual-and-reproductive-health-rights-srhr->

